न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 183 / 2011 / दावा /

1. गंगाराम पुत्र रूडाराम उम्र 44 साल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. मोहरीदेवी बेवा रूडाराम उम्र 75 साल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– वादीगण

ब ना म

1. कज्जूराम पुत्र हीराराम उम्र 60 साल
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम उम्र 35 साल
3. केशरीदेवी बेवा मालाराम उम्र 62 साल
4. जडावदेवी पत्नि बलदेवा उम्र 60 साल
5. ओमप्रकाश पुत्र बलदेवा उम्र 35 साल
6. चन्द्र राम पुत्र भैरूंराम उम्र 45 साल
7. चिमनाराम पुत्र भैरूंराम उम्र 40 साल
8. बेगाराम पुत्र घींसाराम उम्र 65 साल
9. केशरा राम पुत्र घींसाराम उम्र 58 साल
10. गिरधारी पुत्र नानूराम उम्र 52 साल
11. गंगादेवी पत्नि सुरजाराम उम्र 62 साल
12. लादूराम पुत्र सुरजाराम उम्र 28 साल
13. अर्जुनराम पुत्र सुरजाराम उम्र 24 साल

(1 से 13) समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

14. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, दांतारामगढ ।
15. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय दिनांक–01.07.2016

1 वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि आराजियात ग्राम रामगढ पटवार मण्डल रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थिति भूमि ख.न. 69 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.10 हैक्टर किता 4 कुल रकबा 6.08 हैक्टर अवस्थित है उपर्युक्त कृषि आराजियात में वादी प्रतिवादी संख्या 1 से

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

13 का संयुक्त हक हिस्सा दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने अपने हक हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा मौके पर सींव नींव कायम कर काश्त कर रहे हैं तथा अपने अपने हक हिस्से में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

2 यह कि मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हक हिस्से के अनुसार काश्त कर रहें हैं किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह अपने हिस्से की भूमि का बिना बंटवारा कराये ही भूमाफिया गिरोह से मिलकर बेचने की तैयारी में है इसलिए बिना बंटवारा करवाये प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि बेचान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजियात का बिना बंटवारा करवाये किसी अन्य का रहन ,बेचान एवं हस्तानान्तरण करने ,वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने से वादी को बेदखल कर बलात कब्जा करने ,नव निर्माण करने एवं उक्त भूमियो को खुर्द बुर्द करने एवं मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से प्रतिवादी को मय उनके नोकर ,कर्मचारी प्रतिनिधि ,एजेन्ट को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि,नक्शा ट्रैश संलग्न किया है।

3 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस प्रतिवादीगणों पर तामील होकर पेश हुए किन्तु प्रतिवादीगणों के हाजिर अदालत नहीं आने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

4 हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी व प्रतिवादीगणों का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

5 हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। कृषि आराजियात ग्राम रामगढ पटवार मण्डल रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थिति भूमि ख.न. 69 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.40 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 98 रकबा 3.10 हैकटर किता 4 कुल रकबा 6.08 हैक्टर अवस्थित है उक्त कृषि आराजियात का बंटवारा मौके व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:-

1 **यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।**

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2 पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

3 यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 20.09.2016 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 700/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 20.09.2016 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 01.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

गंगाराम बनाम कज्जूराम आदि

दावा बाबत, बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 183/2013/दावा निर्णय दिनांक 01.07.2016

1 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई – मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि आराजियात ग्राम रामगढ पटवार मण्डल रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थिति भूमि ख.न. 69 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.10 हैक्टर किता 4 कुल रकबा 6.08 हैक्टर में से मौके एवं रेकार्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक डिकी निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 20.09.2016 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिकी जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 700/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 20.09.2016 को पेश हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07.2016 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ

दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	4	00
मुतफर्रिक	2	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	6	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 183 / 2011 / दावा /

1. गंगाराम पुत्र रूडाराम उम्र 44 साल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. मोहरीदेवी बेवा रूडाराम उम्र 75 साल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– वादीगण

ब ना म

1. कज्जूराम पुत्र हीराराम उम्र 60 साल
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम उम्र 35 साल
3. केशरीदेवी बेवा मालाराम उम्र 62 साल
4. जडावदेवी पत्नि बलदेवा उम्र 60 साल
5. ओमप्रकाश पुत्र बलदेवा उम्र 35 साल
6. चन्द्र राम पुत्र भैरूंराम उम्र 45 साल
7. चिमनाराम पुत्र भैरूंराम उम्र 40 साल
8. बेगाराम पुत्र घींसाराम उम्र 65 साल
9. केशरा राम पुत्र घींसाराम उम्र 58 साल
10. गिरधारी पुत्र नानूराम उम्र 52 साल
11. गंगादेवी पत्नि सुरजाराम उम्र 62 साल
12. लादूराम पुत्र सुरजाराम उम्र 28 साल
13. अर्जुनराम पुत्र सुरजाराम उम्र 24 साल

(1 से 13) समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

14. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, दांतारामगढ ।
15. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय दिनांक–01.07.2016

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner